न्यायालय जिला कलक्टर अलवर, जिला अलवर राज0

अपील संख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/43/2024	2024/112	09.05.2024	06.08.2024

1. पुष्पेन्द्र पुत्र स्व0 श्री निहालसिंह, आयु करीब 13 साल, नाबालिग
2. प्रिति पुत्री स्व0 श्री निहालसिंह, आयु करीब 15 साल, नाबालिग
3. प्रिया पुत्री स्व0 श्री निहालसिंह आयु करीब 10 साल, नाबालिग जाति जाट निवासीयान ग्राम मालाखेड़ा तह0 मालाखेड़ा जिला अलवर जरिये सरपरस्त माता श्रीमती मंजू बेवाह स्व0 श्री निहालसिंह जाति जाट निवासी ग्राम व तह0 मालाखेड़ा जिला अलवर।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. कन्हैया पुत्र श्री रंगीला, आयु करीब 74 वर्ष
2. दिनेश चन्द पुत्र श्री कन्हैया आयु 42 वर्ष
3. रामप्रसाद पुत्र श्री कन्हैया आयु करीब 38 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम व तह0 मालाखेड़ा जिला अलवर राज0।
4. सब रजिस्ट्रार महो0, मालाखेडा तह0 मालाखेडा जिला अलवर राज0।
5. श्री देवीसिंह उपखण्ड अधिकारी महो0 मालाखेडा जिला अलवर।

— अप्रार्थीगण

—:: प्रार्थना—पत्र मुंतकिल ::—

उपस्थितः—
01—श्री हरिओम —वकील प्रार्थीगण
02—श्री अरविन्द कुमार दीक्षित —वकील अप्रार्थीगण 1 लगा0 3

—:निर्णयः—

प्रार्थीगण द्वारा प्रा0पत्र मुंतकिल प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालाखेड़ा के प्रकरण बउनवान पुष्पेन्द्र एवं अन्य बनाम कन्हैया एवं अन्य को किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल किये जाने हेतु निवेदन किया गया, जिसमें विगत तारीख पेशी 13.05.2024 नियत थी। प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय पेश मुंतकिल प्रार्थना—पत्र के संबंध में विन्दूवार टिप्पणी तलब की गई।

विद्वान वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रा0पत्र में वर्णित तथ्यों पर दौराने बहस निवेदन किया कि मुकदमा बअनुवान पुष्पेन्द्र एवं अन्य वादीगण बनाम कन्हैया एवं अन्य प्रतिवादीगण राजस्व वाद सं0 1/80/2021 अंतर्गत धारा 53, 88, 89, 188 राज0 काश्तकारी अधि0 1955 बाबत इस्तकरारहक दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थई निषेधाज्ञा विचाराधीन न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा जिला अलवर है, जिसमें आ0ता0 पेशी दि0 13.05.2024 नियत है। वाद में वर्णित विवादित आराजी हम प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं0 1 ला0 3 असल प्रतिवादीगण की संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की पैत्रक दादालायी आराजी है, जो राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी सं0 1 के नाम खातेदारी में दर्ज है, जिसका कोई विधिक विभाजन लिखित या मौखिक रूप से हम प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं0 1 ला0 3 के मध्य नहीं हुआ है। हम प्रार्थीगण के पिता श्री निहालसिंह पुत्र श्री कन्हैया जाति जाट निवासी ग्राम मालाखेड़ा तह0 मालाखे।ड़ा का स्वर्गवास हो चुका है। वाद में वर्णित विवादित आराजी में हम प्रार्थीगण का भी हक व हिस्सा बनता है। इसलिए हम प्रार्थीगण ने विवादित आराजी में हमको हमारे हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कराकर राजस्व रिकॉर्ड का अंकन दुरूस्त कराकर विवादित आराजी का बाई मीटस एण्ड बाउण्डस विभाजन कराने के लिए उक्त वाद तहत अदालत में पेश किया हुआ है। तहत अदालत के पीठासीन अधिकरी अप्रार्थी सं0 5 द्वारा उक्त प्रकरण में व्यक्तिगत रूचि रखकर छोटी—छोटी तारीख पेशी नियत की जा रही है और सारे कायदे कानून ताक पर रखकर जलदबाजी में प्रकरण का निस्तारण करने को उतारू हैं तथा अप्रार्थीगण सं0 1 ला0 3 आनन फानन में मुकदमे में कार्यवाही कराना चाहते हैं। तहत अदालत के पीठासीन अप्रार्थी सं0 5

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

द्वारा अप्रार्थीगण सं0 1 ला0 3 की सुविधानुसार उनके व उनके वकील के कहे अनुसार तारीख पेशी नियत की जाती है तथा हम प्रार्थीगण के वकील द्वारा निवेदन करने पर भी उनके कहे अनुसार तारीख नियत नहीं की जाती है। तहत अदालत के पीठासीन अप्रार्थी सं0 5 के कहने से उक्त प्रकरण की पत्रावली हर पेशी पर अन्य प्रकरण की पत्रावलियों से अलग रखी जाती है। तहत अदालत में उक्त वाद की पत्रावली प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रकिया संहिता की बहस हेतु नियत है, लेकिन तहत अदालत के पीठासीन अप्रार्थी सं0 5 द्वारा हम प्रार्थीगण के वकील साहब को बहस करने का अवसर नहीं दिया जा रहा है तथा ऐलानिया धमकी दी है कि या तो राजीनामा कर लो अन्यथा आपका दावा खारिज करूंगा। अप्रार्थीगण सं0 1 ला0 3 राजनैतिक आदमी हैं, जिन्होंने तहत अदालत के पीठासीन अप्रार्थी सं0 5 पर दबाव बनाया हुआ है। उक्त प्रकरण में विगत पेशी पर तहत अदालत के पीठासीन अप्रार्थी सं0 5 द्वारा भरी अदालत में हम प्रार्थीगण व उसके वकील से ऐलानिया तौर पर कहा है कि प्रकरण में राजीनामा करो, अन्यथा आगामी पेशी पर आवश्यक रूप से प्रकरण का निस्तारण कर दावा खारिज कर दूंगा। तुम्हारा प्रकरण में कोई लेना देना नहीं है। तहत अदालत के पीठासीन अप्रार्थी सं0 5 द्वारा खुले न्यायालय में पूर्व में ही अपने न्याय निर्णय का इजहार कर दिया है तथा अप्रार्थीगण सं0 1 ला0 3 ने तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी सं0 5 से सांठ–गांठ कर ली है, अप्रार्थीगण सं0 1 ला0 3 को हम प्रार्थीगण ने कई बार तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी के चेम्बर में आते जाते देखा है। अप्रार्थीगण सं0 1 ला0 3 ने विगत पेशी पर हम प्रार्थीगण से अदालत परिसर व गांव में ऐलानिया कहा कि उनकी तहत अदालत के पीठासीन अप्रार्थी सं0 5 से बातचीत हो गयी है, मुकदमा का फैसला उनके पक्ष में होगा तथा दावा खारिज करवाकर रहेंगे। हम प्रार्थीगण को पूरा भय व आशंका है कि अप्रार्थीगण सं0 1 ला0 3 तहत अदालत के पीठासीन अप्रार्थी सं0 5 को निष्पक्ष न्याय करने में बाधा पैदा कर रहे हैं। उक्त वर्णित सूरत में न्यायहित में उक्त प्रकरण को तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा से किसी अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना अतिआवश्यक है। दौरान विचारण मुकदा तहत अदालत के पीठासीन अप्रार्थी सं0 5 से प्रकरण में तथ्यात्मक टिप्पणी तलब कर उनको आगामी कार्यवाही स्थगित रखने के लिए पाबंद किया जाना न्यायहित में अतिआवश्यक है, जिस हेतु नेकनियती से यह प्रा0पत्र मुन्तकिली मुकदमा अदालत श्रीमान में पेश किया जा रहा है। अतः प्रा0पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रा0पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर मुकदमा बअनुवान पुष्पेन्द्र एवं अन्य बनाम कन्हैया एवं अन्य को किसी अन्य न्यायालय में मुंतकिली फरमाने की कृपा करें।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण सं0 1 ला0 3 ने जवाब पेश नहीं करते हुए सीधे ही मौखिक रूप से बहस की गयी। अभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर चिन्तन–मनन किया। उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा द्वारा अपने जवाब में टिप्पणी पेश कर अवगत कराया है कि जिम्मन नं0 स्वीकार है, न्याया0 से संबंधित है। जिम्मन नं0 2 न्यायालय से संबंधित है। वादी स्वयं सिद्ध करें। जिम्मन नं0 3 में प्रार्थी का कथन बेबुनियाद है। पत्रावली में प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र ऑर्डर 07 रूल 11 सीपीसी दि0 19.11.2023 को पेश हुआ। वकील प्रतिवादी को बहस प्रा0पत्र के समुचित अवसर दिये जाने के उपरान्त बहस की गई। समय अभाव एवं वकील प्रतिवादी के पिताजी का स्वर्गवास हो जाने के कारण आदेश नहीं सुनाया जा सका। बहस सुने एक माह से अधिक होने के कारण प्रकरण मजीद बहस पर नियत किया इसी दौरान वकील वादी ने बहस मजीद नहीं करते हुए मौजूदा प्रा0पत्र मुन्तकिल पेश कर दिया। जिम्मन नं0 4 बिलकुल असत्य है। प्रार्थी रिकॉर्ड से (पत्रावली की आदेशिका) से सिद्ध करें। जिम्मन नं0 5 बेबुनियाद है। जिम्मन नं0 6 में प्रार्थी का कथन असत्य है। प्रार्थी अधिवक्ता को बहस का अवसर नहीं दिया हो यह प्रार्थी पत्रावली आदेशिका से सिद्ध करें। अप्रार्थी सं0 5 पीठासीन अधिकारी पर प्रार्थीगण द्वारा लगाये गये आरोप पूर्णतया मनगढंत, काल्पनिक एवं सत्यता से परे हैं और प्रकरण को लम्बा खींचने के उद्देश्य से सृजित किये गये हैं। जिम्मन नं0 7 काल्पनिक एवं मिथ्या है। अप्रार्थी सं0 5 पीठासीन अधिकारी पर

जिला कलक्टर
अलवर (राज.)

प्रार्थीगण द्वारा लगाये गये आरोप पूर्णतया मनगढंत, काल्पनिक एवं सत्यता से परे हैं और प्रकरण को लम्बा खींचने के उद्देश्य से सृजित किये गये हैं। जिम्मन नं0 8 प्रार्थी रिकॉर्ड से सिद्ध करें। शेष कथन काल्पनिक हैं। अप्रार्थी रां0 5 पीठासीन अधिकारी पर प्रार्थीगण द्वारा लगाये गये आरोप पूर्णतया मनगढंत, काल्पनिक एवं सत्यता से परे हैं और प्रकरण को लम्बा खींचने के उद्देश्य से सृजित किये गये हैं। जिम्मन नं0 9 यह कि यदि प्रार्थी को न्याय की उम्मीद नहीं है तो श्रीमान उक्त प्रकरण को दीगर न्यायालय में मुन्तकिल के आदेश फरमावे तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है। अप्रार्थी रां0 5 पीठासीन अधिकारी पर प्रार्थीगण द्वारा लगाये गये आरोप पूर्णतया मनगढंत, काल्पनिक एवं सत्यता से परे हैं और प्रकरण को लम्बा खींचने के उद्देश्य से सृजित किये गये हैं। जिम्मन नं0 10 यह कि यदि प्रार्थी को न्याय की उम्मीद नहीं है तो श्रीमान उक्त प्रकरण को दीगर न्यायालय में मुन्तकिल के आदेश फरमावे तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है। जिम्मन नं0 11 से 14 न्यायालय श्रीमान से संबंधित हैं। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा मौजूदा मुन्तकिल प्रा0पत्र बेबुनियाद झूठे एवं मनगढंत तथ्यों के आधार पर महज प्रकरण को अनावश्यक देरी करने की नियत से पेश किया है, फिर भी श्रीमान उक्त प्रकरण को इस न्यायालय से दीगर न्यायालय में मुन्तकिल के आदेश फरमावे तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है। प्रथम दृष्ट्या अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा मुंतकिल प्रा0पत्र के संबंध में किसी स्वतंत्र व्यक्ति के शपथ–पत्र पेश नहीं किये गये हैं और ना ही प्रार्थना–पत्र के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किये गये हैं। प्रार्थीगण का प्रा0पत्र मुंतकिल खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र मुन्तकिल खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.08.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशीष गुप्ता)
जिला कलक्टर, अलवर
राजस्थान